



राजपत्र , हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 सितम्बर, 2009

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-12/2009-लेजेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 22-9-2009 को अनुमोदित मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2009 (2009 का विधेयक संख्यांक 13) को वर्ष 2009 के अधिनियम संख्यांक 22 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा,
अवतार चन्द डोगेगरा,
सचिव
